ई-डिस्टिक्ट के अन्तर्गत जारी..



उत्तर प्रदेश शासन

उत्तर प्रदेश के पिछड़ी जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र

जिला

गाजीपुर

तहसील ज़ आवेदन क्र० 2

ज़मानिया 231950030077332

प्रमाणपत्र क्र०

655233005241

प्रमाणित किया जाता है कि पुत्र/पुत्री

माता का नाम

निवासी

तहसील

उत्कर्ष/UTKARSH रमेश सिंह सुनीता

,ग्राम हरपुर पोस्ट ज़मानियाँ

ज़मानिया गाजीपुर



जारी दिनांक: 22/04/2023

उत्तर प्रदेश राज्य की <u>अहीर</u> जाति के व्यक्ति हैं। यह उत्तर प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम १९९४ की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उत्कर्ष/UTKARSH पूर्वोक्त अधिनियम १९९४ (यथा संशोधित) की अनुसूची २ (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा)अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००१ द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एंव जो उ०प्र० लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम २००२ एवं शासनादेश संख्या 22/16/92 टी० सी०-III, दिनाँक २० अक्टुबर २००८ द्वारा संशोधित की गई है, से आच्छादित नहीं है।इनके माता-पिता की निरन्तर तीन वर्षों की अविध के लिये सकल वार्षिक आय आठ लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धन कर अधिनियम १९५७ मे यथा विहिप छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति नहीं है |



जारी कर्ता केन्द्र: मोहन लाल,सहज जन सेवा केंद्र

पद: मोहन लाल, केन्द्र प्रभारी

स्थान:

13,Harpur,गाज़ीपुर,जमानियां,गाजीपुर

दिनॉक: 23/04/2023

हस्ताक्षर एंव मुहर

RAMJI Digitally

Signed by RAMJI
OFPersonal,

S=UTTAR PRADESH सक्षम अधिकारी/तहसीलदार डिजिटल हस्ताक्षरित जमानिया,गाजीपुर दिनॉक:22/04/2023

यह प्रमाण पत्र इलेक्ट्रॉनिक डिलिवरी सिस्टम द्वारा तैयार किया गया है तथा डिजिटल सिग्नेचर से हस्ताक्षरित है। सम्बन्धित केन्द्र के अधिकृत कर्मी द्वारा प्रमाणित किया गया है। यह प्रमाण पत्र वेबसाइट http://edistrict.up.gov.in पर इसका पहले आवेदन क्र० फिर प्रमाणपत्र क्र० अंकित कर,सत्यापित किया जा सकता है।